



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018
www.rsmsssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं. 0141-2722520

दिनांक 08.08.2019

कनिष्ठ अनुदेशक(कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट)(कोपा) सीधी भर्ती परीक्षा-2018

बोर्ड द्वारा कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण) विभाग के लिये राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम-1975 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2014 के अन्तर्गत कनिष्ठ अनुदेशक(कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट)(कोपा) के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 48 एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिये 1, कुल 49 पदों के लिये अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक(कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट)(कोपा) सीधी भर्ती परीक्षा-2018 दिनांक 24.03.2019 को आयोजित की गई।

इसी क्रम में उक्त पदों हेतु नीचे अंकित अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया जाता है। ये सूचीयां पूर्णतया अस्थाई अनन्तिम (Purely Provisional) है तथा इन्हें तैयार करते समय श्रेणीवार विज्ञापित पदों का वरीयता के अनुसार डेढ़ गुना (150%) अभ्यर्थियों की संख्या सम्मिलित की गई है। इनकी पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया है। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बोर्ड द्वारा पृथक से सूचित किया जायेगा। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन के पश्चात् पात्र पाये गये अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। इसके पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण) विभाग को नियमानुसार अभिस्तावित किये जायेंगे। पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों के रोल नम्बर, कट-ऑफ मार्क्स, विषयवार/भागवार प्रश्नों का विवरण एवं प्राप्तांकों की गणना करने का सूत्र क्रमशः निम्नानुसार है:-

गैर अनुसूचित क्षेत्र (रोल नं०)

300074 300106 300202 300436 300453 300511 300918 301057 301111 301409 301522
301570 301668 301764 301818 302335 302454 302652 303128 303184 303222 303554
303689 303803 303856 304283 304544 304799 305023 305038 305129 305459 305499
305584 305707 305976 305988 306009 306188 306518 306521 306617 306853 306947
307213 307549 307617 307714 307844 307971 307986 308059 308194 308697 308736
308887 308929 309104 309293 309351 309434 309692 309845 310025 310091 310415
310469 310571 311548 311788 311953 311965 312012 312038 312103***

(CUT OFF MARKS)

CATEGORY		CUT OFF MARKS
GEN	GEN	51.9959
	FEM	48.0648
	WD	35.846
	DV	-
SC	GEN	44.3566
	FEM	38.0041
	WD	-
	DV	-
ST	GEN	37.2948
	FEM	30.3445
	WD	-
	DV	-

OBC	GEN	48.8045
	FEM	43.5056
	WD	-
	DV	-

HORIZONTAL RESERVATION

CATEGORY	CUT OFF MARKS
LD/CP	43.7994
EX-SERVICEMAN	28.0446

अनुसूचित क्षेत्र (रोल नं०)

302370 307213***

(CUT OFF MARKS)

CATEGORY		CUT OFF MARKS
GEN	GEN	47.1125
	FEM	-
	WD	-
	DV	-

Set-wise विलोपित प्रश्नों का विवरण

अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र पर अंकित चिन्ह का निम्नलिखित सूची से मिलानकर प्रश्न पत्र सेट के अनुसार अपने प्राप्तांकों की गणना कर सकते हैं।

सीरीज	G.K.		Copa	
	Q.No.(S)	Q's Deleted	Q.No.(S)	Q's Deleted
£	1-50	5,33,46	51-150	143,146
¢	1-50	15,48,36	51-150	73,76
¥	1-50	20,38,26	51-150	93,96
±	1-50	25,43,31	51-150	113,116

प्राप्तांक गणना का सूत्र:-

$$\text{Total Marks of a Candidate} = \sum \text{of } [(RQ \times KF)]$$

$\sum =$ Sum of Marks in all Sections/Subjects

RQ= Right Questions of a Particular Section/Subject

$$\text{KF= Key Factor} = \frac{\text{Maximum Marks}}{\text{Total No.of Questions}} \times \frac{\text{Total No.of Questions of a Particular Section/Subject}}{\text{Number of Valid Questions of a Particular Section/Subject}}$$

नोट:-

1. प्रश्न पत्र में कुल प्राप्तांक 150 थे। इन 150 अंको को 70% के स्केल पर किया जाकर CITS के प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों को उनके आवेदन/दावे के अनुरूप उनके CITS में प्राप्त अंको को 30% वेटेज दिया गया है। प्रश्न पत्र में प्राप्त प्राप्तांको एवं CITS के प्राप्तांको को उक्त भारांक के अनुरूप जोड़ते हुए वरीयता सूची तैयार की गई है। जो पूर्णतया अंतरिम हैं। इस वरीयता सूची में CITS के प्राप्तांको का सत्यापन होना शेष है। CITS के प्राप्तांक सत्यापन होने के पश्चात् ही अंतिम होंगे। इन अंको का सत्यापन न होने की स्थिति में वरीयता सूची में परिवर्तन संभव है। इस प्रकार यह वरीयता सूची पूर्णतया अंतरिम हैं।
2. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को, जिन्होंने गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी आवेदन किया है, उन्हें वरीयता के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के परीक्षा परिणाम में भी शामिल किया गया है। इसलिए उनके रोल नम्बर दोनों श्रेणियों में अंकित हो सकते हैं।

(डॉ. मुकुट बी. जांगिड़)
सचिव